झअनुसूची 14--फारम सं०--562।

# आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक--1941 का नियम 129)

आदेश–पत्रक – ..........................................ता०..........................................से.......................................तक

जिला-- लखीसराय, वाद संख्य :--63/2015--16 सन् 2015

केश का प्रकार :-- समपहरण वाद, राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29.01.2016 | पुलिस अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक--3898/सी0आर0, दिनांक--19.12.2015 द्वारा हलसी(रामगढ़ चौक) थाना कांड सं0--171/15 दिनांक--02.11.2015 के अंतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा--6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।<br>प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ चौक के आवेदन दिनांक--30.1 .2015 में उल्लेख है कि दिनांक--29.11.2015 को अपराह्न 03:30 बजे रामगढ़ चौक मुख्य बाजार से शेखपुरा रोड में फुट--पाथ पर अण्डा टेबुल के साथ 14.2 किलो सिलेन्डर पुलिस के द्वारा जप्त कर लाया गया। पूछताछ के क्रम में चौकीदार सरयुग पासवान ने बताया कि उक्त जप्त सामग्री जितेन्द्र कुमार, पिता--भगवान साव, साकिन व थाना--रामगढ़ चौक का है। जब्त गैस सिलेन्डर एवं अन्य सामग्री को रामगढ़ चौक थाना की अभिरक्षा में रखा गया है। स्पष्ट है कि फुट--पाथ पर अण्डा बेचने के लिए सरकार द्वारा अनुदानित इण्डेन गैस सिलेन्डर का अवैध रूप से उपयोग किया जाता है।<br>अतः जितेन्द्र कुमार, पिता--भगवान साव, साकिन व थाना--रामगढ़ चौक को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा--7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा किया गया है।<br>उपर्युक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त जितेन्द्र कुमार, पिता--भगवान साव, साकिन व थाना--रामगढ़ चौक द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा--7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है।<br>चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिश निर्गत करें कि क्यों नहीं जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। अभिलेख दिनांक--02.03.16 को उपस्थापित करें।<br>जिला दण्डाधिकारी,<br>लखीसराय।<br>ज्ञापांक--.....58.......विधि, दिनांक--29.01.16<br>प्रतिलिपि :--अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखी0/पुलिस अधीक्षक, लखी0/अनुमंडल पदाधिकारी, लखी0 तथा थाना प्रभारी, रामगढ़ चौक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।<br>प्रतिलिपि :-- जिला सूचना विज्ञान पदा0, लखी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।<br>जिला दण्डाधिकारी,<br>लखीसराय। | |